2025/9

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री हंसाराम पुत्र श्री पुनमाजी भील निवासी गली नं. 06 टांकरिया जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सार्वजनिक चिकित्सालय, सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 03 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
28.01.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रंमुख चिकित्सा अधिकारी सार्वजनिक चिकित्सालंय सिरोही को दिनांक 01.10.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट की पुत्री श्रीमती रेखा पत्नि श्री अजाराम जाति भील की दिनांक 02.12.2017 को सार्वजनिक चिकित्सालय (जनाना) में प्रसव के लिए भर्ती हुई थी। अपीलांट की पुत्री का प्रसव किस डॉक्टर से कराया गया था। उस सूचना से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलायें जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सार्वजनिक चिकित्सालय सिरोही को दिनांक 01.10.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट की पुत्री श्रीमती रेखा पत्नि श्री अजाराम जाति भील की दिनांक 02.12.2017 को सार्वजनिक चिकित्सालय (जनाना) में प्रसव के लिए भर्ती हुई थी। अपीलांट की पुत्री का प्रसव किस डॉक्टर से कराया गया था। उस सूचना से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सार्वजनिक चिकित्सालय सिरोही से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सार्वजनिक चिकित्सालय सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी अधोहरताक्षरकर्ता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:57:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner